भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2551**

**उत्तर देने की तारीख 22.12.2022**

**खिलौना उद्योग**

2551. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री मनोज तिवारी:
श्री सुब्रत पाठकः
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने खिलौना उद्योग पर कब्जा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्षमता निर्माण, डिजाइन में नवाचार और मशीनरी में सुधार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खिलौना उद्योग प्रारम्भ करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उद्योग की जटिलता से अवगत कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ- साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) से (ङ): सरकार ने घटिया और असुरक्षित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात की मात्रा में निरंतर रूप से घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में खिलौनों (एचएसएन कोड 9503, 9504, 9505) का आयात वर्ष 2014-15 में 332.55 मिलियन अमरीकी डॉलर से लगभग 67 प्रतिशत घटकर वर्ष 2021-22 में 109.72 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा, भारत से खिलौनों के (एचएसएन कोड 9503, 9504, 9505) का निर्यात वर्ष 2014-15 में 96.17 मिलियन अमरीकी डॉलर से लगभग 240 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में 326.63 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

सरकार ने स्वदेशी खिलौनों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं जो कि व्यापक रूप से निम्नानुसार हैं:-

(i) खिलौनों को सीखने के एक संसाधन के रूप में प्रयोग करके, हैकाथॉन, और खिलौनों की डिजाइन निर्माण और विनिर्माण की बड़ी चुनौतियां आयोजित करके, गुणवत्ता खिलौनों की गुणवत्ता निगरानी, स्वदेशी खिलौना क्लस्टर के संवर्धन आदि से, भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों के डिजाइन के संवर्धन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना।

(ii) फरवरी, 2020 में खिलौनों (एचएस कोड 9503) पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया था।

(iii) डीजीएफटी ने घटिया खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक आयात खेप के नमूना परीक्षण को अनिवार्य किया है।

(iv) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 20.02.2020 को खिलौनों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है जिसके माध्यम से खिलौनों को दिनांक 01.01.2021 से भारतीय मानक ब्यूरो से अनिवार्य प्रमाणीकरण के अधीन लाया गया है।

(v) पेटेंट महानिदेशक का कार्यालय, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा भौगोलिक संकेतकों के रूप में पंजीकृत उत्पाद के पंजीकृत स्वामियों और प्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा तथा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा विनिर्मित और बेची गई वस्तुओं और मदों में छूट के लिए दिनांक 11.12.2020 को खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया है।

(vi) दिनांक 17.12.2020 को बीआईएस द्वारा विशेष उपबंधों को अधिसूचित किया गया ताकि एक वर्ष के लिए परीक्षण सुविधा के बिना तथा आंतरिक परीक्षण सुविधा स्थापित किए बिना खिलौना विनिर्माण की सूक्ष्म बिक्री ईकाईयों को लाइसेंस प्रदान किया जा सके।

(vii) भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस मानक चिन्ह के साथ खिलौनों के विनिर्माण के लिए घरेलु विनिर्माताओं को 1001 लाइसेंस और विदेशी विनिर्माताओं को 28 लाइसेंस ने प्रदान किए है।

इसके अलावा, खिलौना उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय नए उद्योग सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और अवसंरचना विकास के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रू. तक की लागत की इकाई के लिए परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जा रही है। परंपरागत उद्योगो के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम के अन्तर्गत, नवीनतम मशीनों, डिजाइन केन्द्रों, कौशल विकास इत्यादि के साथ सामान्य सुविधा केन्द्रों के सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत 55.65 करोड़ के परिव्यय के साथ 11749 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए कुल 19 खिलौना क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है।

********